राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना संख्या–67/2016
(अपील संख्या :–1107/2005)

डॉ0 हरिमोहन सक्सेना
–अपीलार्थी/प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजहंस उपाध्याय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री भास्कर ए समांती, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्री अनूप खिंची, निदेशक, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

–अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 16.09.2016
विनिश्चय की दिनांक : 08.07.2024

उपस्थित :
प्रार्थिया की ओर से : श्री एम.एस. बेग, अभिभाषक।
अप्रार्थीगण की ओर से : श्री डॉ. ऋचा देवानी, प्रभारी अधिकारी।

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी/अपीलार्थी ने यह अवमानना याचिका इस अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपील संख्या 1107/2005 में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2012 की पालना नहीं करने व अधिकरण के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करना बताते हुए दिनांक 16.09.2016 को इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। अधिकरण द्वारा दिनांक 04.12.2012 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया था :–

> *" उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप उक्त तीनो अपीले स्वीकार की जाती है ओर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी डा. हरीमोहन सक्सैना को 12.07.2001 से 31.03.2003 के मध्य की अवधि के लिये, डा. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल को दिनांक 31.03.2000 से 30.11.2003 के मध्य की अवधि के लिये एवं डा कुन्दन मल जैन को 31.03.2000 से 30.12.2001 की मध्य की अवधि के लिये प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय/संयुक्त निदेशक*

पद का वास्तविक वेतन उनके उपरोक्त वर्णित वेतन निर्धारण आदेशों के अनुसार दे दिया जावे।

इस आदेश की अनुपालना आज से छः माह के अन्दर कर दी जावे अन्यथा आज की तिथि से कुल राशि पर अपीलार्थी 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। मूल आदेश अपील संख्या 1107 / 2005 में एवं आदेश की प्रति अन्य अंकित पत्रावलीयों में संलग्न की जावे।।''

2. प्रार्थी द्वारा कहा गया है कि उसने निर्णय की पालना हेतु दिनांक 20.11.2015 को प्रत्यर्थीगण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–4 है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने निर्णय की पालना जानबूझ नहीं की है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 04.12.2012 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 8206 / 2013 दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.09.2015 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया (अनुलग्नक–3)। उसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिकरण के आदेश दिनांक 04.12.2012 की पालना नहीं किये जाने के कारण अवमानना प्रकरण बनाकर माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

3. इस अवमानना आवेदन की पालना करने हेतु दिनांक 23.09.2016 को प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए थे तथा दिनांक 04.11.2016, 05.05.2017, 04.08.2017, 03.11.2017, 05.01.2018, 06.07.2018, 04.02.2019, 03.01.2020, 10.02.2021, 16.06.2022, 18.07.2023 एवं 08.07.2024 को राजकीय अधिवक्ता को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए गए थे, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने अधिकरण के निर्णय दिनांक 04.12.2012 की पालना नहीं की है।

4. प्रकरण में प्रत्यर्थीगण को दिनांक 07.10.2016 को जवाब प्रस्तुत करने के नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की गई याचिका एकलपीठ में खारिज किए जाने के पश्चात एकलपीठ के आदेश के विरूद्ध डिवीजन बैंच में याचिका डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 375 / 2016 उनवानी राज्य सरकार जरिये सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर व अन्य बनाम कुन्दनमल जैन व अन्य प्रस्तुत की गई।

जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7.11.2016 को इस निर्देश के साथ निस्तारित की गई कि–

"1- By way of this appeal, the appellant has challenged the judgment and order of the learned Single judge whereby he has dismissed the petition.

2- Counsel for the appellant states that judgment reported in (1998) 5 SCC 87 is further defined by the Supereme Court by sunbsequent judgment in (2014) 13 SCC 283 but the same was not pointed out to the learned Single judge.

3- In that view of the matter, without expressing any opinion on merits of the case, we allow the appellants to approach the learned Single judge by way of clarification/review application. If such an application is made, the same will be considered on merits.

4- The appeal stands accordingly disposed of. Other applications are also disposed of."

उपरोक्त आदेश की अनुपालना में विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में DBSAW 805/2018 उनवानी राज्य सरकार जरिये सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर व अन्य बनाम डॉ० हरिमोहन सक्सेना व अन्य प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रार्थी अपीलार्थी का अनुतोष माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत DBSAW में विचाराधीन है जिस पर गुणावगुण पर निर्णय होना शेष है। इसलिए उत्तरदाता विपक्षीगण अन्तरिम जवाब अवमानना याचिका वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रदान किए जाने वाला अनुतोष न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत विचाराधीन है। अतः अवमानना याचिका को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तक विचाराधीन रखा जावे।

5. हमने उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. यह अवमानना याचिका दिनांक 16.09.2016 को पेश की गयी थी। उसके बाद दिनांक 04.11.2016, 05.05.2017, 04.08.2017, 03.11.2017, 05.01.2018, 06.07.2018, 04.02.2019, 03.01.2020, 10.02.2021, 16.06.2022, 18.07.2023 एवं 08.07.2024 की तिथियां अप्रार्थीगण को आदेश की पालना के लिये दी गयी थी,

परन्तु अप्रार्थी विभाग ने आदेश की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई स्थगन प्रभावी नहीं है। यह स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151)** के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

> *"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

> *"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में** अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

> *"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

7. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 04.12.2012 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

8. परिणामस्वरूप प्रार्थी–अपीलार्थी की अवमानना याचिका स्वीकार की जाकर इस अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस संदर्भ में अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम–1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्रवाई के विचाराणार्थ प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को संदर्भित करावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

मनीष